प्रेस विज्ञप्ति

26 फरवरी, 2016

श्री गुलाम नबी आजाद, विपक्ष के नेता एवं रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेसवार्ता में निम्नलिखित बयान जारी किया :–

''तरुण भारत मुंबई घोटाले'' ने कानून तोड़े जाने, स्वार्थों की पूर्ति, मंत्रियों की आचार संहिता के उल्लंघन, केंद्र/राज्य मंत्रियों के द्वारा चुनावी शपथपत्र में आवश्यक जानकारी छिपाए जाने एवं संदेहास्पद लेन देन के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सार्वजनिक हुए दस्तावेजों से इस घोटाले में भाजपा नेतृत्व की मिलीभगत का खुलासा हुआ है, जिसका उत्तर पूरे देश के सामने दिया जाना जरूरी है।

1. **भाजपा के द्वारा फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कर्ज दिया जाना– क्या यह कानून का सरासर और खुलेआम उल्लंघन नहीं है?**

(i) श्री मल्टीमीडिया विजन लिमिटेड एक 'फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी' है, जो 18.01.2001 को इनकॉर्पोरेट की गई। दिनांक 30.09.2013 को शेयरहोल्डिंग प्रदर्शित करने वाला कंपनी का वार्षिक रिटर्न **संलग्नक A-1** (कृपया पृष्ठ 6 देखें) में संलग्न है। यह कंपनी 'तरुण भारत न्यूजपेपर, मुंबई' की स्वामी एवं संचालक है।

(ii) वित्त वर्ष 2012–13 के लिए एसएमवीएल, मतलब 'तरुण भारत की स्वामी' के पिछले वार्षिक रिटर्न में भाजपा की ओर से 25 लाख रु. का कर्ज दिखाया गया। इस रिटर्न की प्रति **संलग्नक A-2** में संलग्न है। भाजपा ने यह भी बताया कि यह कर्ज 'तरुण भारत' के द्वारा लौटाया नहीं गया, क्योंकि कंपनी का व्यापार बंद हो गया एवं कर्ज वापस दिया जाना संभव नहीं था।''

(iii) एसएमवीएल चेम्बूर, मुंबई में भाजपा कार्यालय से 'तरुण भारत' का प्रकाशन करती है। 'तरुण भारत'/ एसएमवीएल ने बताया कि उन्होंने भाजपा कार्यालय ''खर्च बांटने के आधार'' पर किराए पर लिया। राजनैतिक पार्टियां अपने ऑफिसों से कभी भी कमर्शियल गतिविधियां नहीं चलाती हैं और न ही ऑफिस किराए पर देती हैं।

(iv) एसएमवीएल, मतलब 'तरुण भारत' के वार्षिक रिटर्न में 'केशव कुंज' से 20 लाख रु. का कर्ज दिखाया गया है। झण्डेवालान, नई दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय 'केशव कुंज' के नाम से मशहूर है। क्या भाजपा/आरएसएस बताएंगे कि यह कर्ज आरएसएस ने दिया या किसी अन्य इकाई ने?

(v) 'भारतीय दर्शन विचार ट्रस्ट' ने भी एसएमवीएल, मतलब 'तरुण भारत' के स्वामी को 20 लाख रु. दिए। इस ट्रस्ट का मुख्यालय भी चेम्बूर, मुंबई में भाजपा कार्यालय में है (जैसा मीडिया को बताया गया)। क्या यह भाजपा का ट्रस्ट है? इन पैसों का स्रोत क्या है? क्या ये पैसे भी भाजपा के हैं? यदि यह भाजपा का ट्रस्ट नहीं है, तो यह भाजपा कार्यालय से क्यों चलाया जाता है?

(vi) क्या प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली यह बताएंगे कि 'फॉर प्रॉफिट' पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को राजनैतिक पार्टियों के द्वारा दिया गया कर्ज आयकर कानून एवं दूसरे कानूनों का उल्लंघन करता है या नहीं? क्या एक राजनैतिक दल के लिए यह उचित है कि वो अपना राजनैतिक कार्यालय कमर्शियल कार्य के लिए किराए पर दे दे? (कृपया दिनांक 10.12.2015 का वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली का ब्लॉग देखें), जो यहां **संलग्नक A-2A में संलग्न है।**

2. व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति

(i) श्री विनोद तवड़े, भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं शिक्षा और संस्कृति मंत्री, महाराष्ट्र एडिटर, श्री दिलीप तारमबेलकर के साथ 'तरुण भारत' के स्वामी, एसएमवीएल के डायरेक्टर हैं। विनोद तवड़े एवं दिलीप तारमबेलकर के बीच गहरा व्यापारिक जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है। श्री तवड़े एवं श्री तारमबेलकर 'श्रीरंग प्रिंटर्स' में भी डायरेक्टर हैं। श्री विनोद तवड़े के पास 'जन कल्याण सहकारी बैंक' के शेयर भी हैं, जिसमें श्री दिलीप तारमबेलकर की पत्नी श्रीमति यू. डी. तारमबेलकर डायरेक्टर हैं।

(ii) महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री बनने के बाद श्री विनोद तवड़े ने श्री दिलीप तारमबेलकर को महाराष्ट्र स्टेट मराठी एवं एनसायक्लोपीडिया प्रोडक्शन बोर्ड (एमएसएमईपीबी), मतलब शानदार भत्ते एवं विशेषाधिकार वाले जनकार्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया।

चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने एमएसएमईपीबी के अध्यक्ष/चेयरमैन के लिए चार नाम एवं सदस्यों के लिए 24 नाम दिए थे। श्री दिलीप तारमबेलकर का नाम इस चौबीस नामों में था तक नहीं। सरकारी फाईल की टिप्पणियों की प्रतियां यहां **संलग्नक A-3** में संलग्न है। इसके बाद भी श्री विनोद तवड़े के निर्देश पर श्री दिलीप तारमबेलकर को एमएसएमईपीबी का अध्यक्ष/चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। संबंधित टिप्पणियों की प्रतियां यहां **संलग्नक A-4** में संलग्न है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि नियुक्ति के वक्त उन्हें मुख्यमंत्री का अनुमोदन तक नहीं मिला था।

(iii) श्री विनोद तवड़े ने अपने बिजनेस पार्टनर एवं मशहूर आरएसएस कार्यकर्ता दिलीप तारमबेलकर को एक सार्वजनिक कार्यालय में सरकार की अनुमति के बिना ही नियुक्ति दे दी। इससे साफ होता है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक सार्वजनिक कार्यालय में गैरकानूनी नियुक्ति दी गई।

(3. मंत्रियों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन

(i) गृहमंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी 'मंत्रियों के लिए आचार संहिता' (केंद्रीय एवं राज्य) में साफ कहा गया है कि किसी मंत्री को मंत्री पद पर नियुक्त होने से पहले अपने सभी बिजनेस के संचालन एवं प्रबंधन के साथ सभी संबंध समाप्त कर लेने चाहिए। अनुच्छेद 1(b) नीचे दिया गया है :–

''(b) मंत्री पद के लिए नियुक्त होने से पहले जुड़े हुए किसी भी बिजनेस के प्रबंधन एवं संचालन से सभी संबंध समाप्त कर लें, स्वयं का स्वामित्व समाप्त कर दें।''

(ii) कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम दस्तावेजों के अनुसार श्री विनोद तवड़े आज तक एसएमवीएल के डायरेक्टर पद पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, वो चार अन्य कंपनियों, मतलब 'सुबरंग प्रिंटर्स प्रायवेट लिमिटेड', 'तवड़े नलवड़े बिल्डवेल प्रायवेट लिमिटेड', 'नासिक मैरीन फीड्स प्रायवेट लिमिटेड' एवं 'इनोवेटिव ऑफशोरिंग प्रायवेट लिमिटेड' के भी डायरेक्टर हैं। संबंधित दस्तावेजों की प्रति **संलग्नक A-5** में संलग्न है।

(iii) इससे साफ होता है कि आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। क्या भाजपा एवं मुख्यमंत्री, श्री देवेंद्र फडनवीस देश के नागरिकों को बताएंगे कि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए मंत्रियों की आचार संहित का उल्लंघन करने पर श्री विनोद तवड़े के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

4. श्री सी. उदय भास्कर नायर (भाजपा नेता एवं शेयरधारक, एसएमवीएल) एवं श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री (एसएमवीएल) के द्वारा चुनावी घोषणापत्रों में आवश्यक जानकारी छिपाया जाना

(i) एसएमवीएल के मालिक श्री सी. उदयभास्कर नायर भी भाजपा नेता हैं, जिन्होंने केरला में पलक्कड़ चुनावक्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनके चुनावी घोषणापत्र की एक प्रति यहां **संलग्नक A-6** में संलग्न है। संलग्नक A-6 में शेयरों की जानकारी देते वक्त वो यह बताना बिलकुल भूल गए कि वो 'तरुण भारत' के स्वामी, एसएमवीएल में 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के मालिक हैं।

वित्तवर्ष 2008–09 के लिए भाजपा के अनुदानदाताओं की सूची में श्री सी. उदय भास्कर नायर क्रम संख्या 81 पर हैं एवं उनकी कंपनी 'रवि नायर हॉस्पिटल' क्रम संख्या 78 पर है। इस दस्तावेज की प्रति संलग्नक A-7 में संलग्न है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिनांक 19.12.2013 को सार्वजनिक की गई एक खबर में बताया गया कि 'रवि नायर हॉस्पिटल' (सी. उदयभास्कर नायर की कंपनी) के स्वामित्व के 'ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर' पर सड़क के लिए स्वीकृत की गई जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इस खबर की प्रति **संलग्नक A-8** में संलग्न है। क्या भाजपा भारत के नागरिकों को इन वित्तीय लेनदेन एवं आरोप के बारे में कुछ बताएगी?

(ii) ठीक इसी तरह केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं श्री रविंद्र बोरात्कर (श्री गडकरी की पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अध्यक्ष) भी एसएमवीएल के शेयरधारक हैं (कृपया A-1, पेज 6 देखें)। दिनांक 28.03.2014 को दिए चुनावी शपथपत्र में श्री नितिन गडकरी 'तरुण भारत के स्वामी' एसएमवीएल में अपने शेयरों के बारे में बताना साफ भूल गए। इस चुनावी घोषणापत्र की प्रति **संलग्नक A-9** में संलग्न है। श्री गडकरी अपने इस झूठ पर पर्दा डालने के लिए अब कह रहे हैं कि यह उनके विविध निवेशों में से एक है। क्या श्री गडकरी इन निवेशों का विवरण सार्वजनिक करेंगे, ताकि भारत के नागरिकों के सामने सच्चाई आ सके?

(iii) एसएमवीएल के अधिकांश शेयरधारकों ने 'तरुण भारत' के स्वामी एसएमवीएल में अपने शेयरों के बारे में कोई भी जानकारी क्यों नहीं दी? इस सबसे निम्नलिखित प्रश्न पैदा होते हैं।

5. संदेहास्पद सौदे

(i) वित्तवर्ष 2012–13 के लिए तरुण भारत के स्वामी, एसएमवीएल की बैलेंस शीट (संलग्नक A-2) से यह भी प्रदर्शित होता है कि किसी विलायती राम मित्तल ने एसएमवीएल को 15 लाख रु. का कर्ज दिया।

(ii) दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है कि श्री विलायती राम मित्तल एक बिल्डर हैं, जिनकी जांच एंटी–करप्शन ब्यूरो कर रहा है। डीडीए के द्वारा प्रतिबंध किए गए कॉन्ट्रैक्टर्स की सूची में एक नाम 'मे.

विलायती राम मित्तल' एवं उनकी एक अन्य संस्था 'मे. वीआरएम (इंडिया) लिमिटेड' का भी है। इन दो दस्तावेजों की प्रति यहां **संलग्नक A-10** में संलग्न है। श्री विलायती राम मित्तल एनएचएआई के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, जो लखनऊ–कानपुर के बीच सड़क बना रहे हैं। इस दस्तावेज की प्रति **संलग्नक A-11** में संलग्न है। अतीत में सीबीआई एवं श्री विलायती राम मित्तल के पुत्र श्री नरेंद्र मित्तल के बीच मुकदमेबाजी चलती रही। दिनांक 26.10.2013 को आए फैसले की एक प्रति **संलग्नक A-12** में संलग्न है। क्या एक कंपनी एवं समाचार पत्र का भाजपा कार्यालय से चलाया जाना एवं संदेहास्पद रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों/कंपनियों से पैसा लेना उचित है?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि भाजपा उपरोक्त मामलों में सच्चाई को सार्वजनिक करे, प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी एवं श्री नितिन गडकरी भारत की जनता से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाए जाने का कारण बताएं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री देवेंद्र फडनवीस श्री विनोद तवड़े को फौरन बर्खास्त करें एवं भाजपा पूरी सच्चाई को देश की जनता के सामने लाए।''